बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञाप संख्या–1/विकास–यो0–234/2025 –196 ई०वि०/cc पटना, दिनांक– 03 जुलाई, 2025

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय : **राज्य योजना अंतर्गत " मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम " की योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 4900.00 लाख रू0 (उनचास करोड़ रूपये मात्र) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा राज्य योजनांतर्गत " **मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम** " के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 4900.00 लाख रू0 (उनचास करोड़ रूपये) मात्र रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

(2) गन्ना एक प्रमुख नगदी फसल है। गन्ना फसल के विकास के फलस्वरूप किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में गन्ना उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने का कार्यक्रम शामिल किया गया है। गन्ना के उत्पादन एवं प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए अधिक उत्पादकता देने वाले प्रभेदों को व्यापक पैमाने पर अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही गन्ना की खेती के आधुनिक तकनीक के प्रचार प्रसार के लिए अंतरवर्ती फसलों की खेती को अपनाने एवं समय पर कीटव्याधि का नियंत्रण आवश्यक है। आधुनिक कृषि तकनीक में किसानों का प्रशिक्षण आवश्यक है। इन्ही आवश्यकताओं के दृष्टिगत् यह कार्यक्रम स्वीकृत किया जाता है।

(3) योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–1** तथा कार्यालयवार/संबंद्ध चीनी मिलवार एवं गैर मिल क्षेत्रों के लिए प्रक्षेत्रवार स्वीकृत योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–2** के रूप में संलग्न है।

(4) योजना का कार्यान्वयन सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा चीनी मिलों के माध्यम से किया जाएगा। इस योजनांतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु संबंधित उप निदेशक, ईख विकास/सहायक निदेशक, ईख विकास एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी। संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा योजना का कार्यान्वयन केन केयर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन एवं अन्य प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। **परिशिष्ट–3** में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेगें। योजनाओं के कार्यान्वयन की समय सीमा 31 मार्च, 2026 तक होगा। योजना कार्यान्वयन में वित्तीय नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित कराने का पूर्ण दायित्व संयुक्त निदेशक, ईख विकास की होगी।

(5) इस योजनांतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन/अनुदान की राशि का भुगतान सीधे CFMS के माध्यम से किया जाएगा। संबंधित उप निदेशक, ईख विकास/सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा राशि की निकासी कर अपने पदनाम/नाम से खोले गए सरकारी या व्यक्तिगत बैंक खाते में राशि का संधारण नहीं किया जाएगा। योजनांतर्गत श्रेणीवार स्वीकृत राशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए संबंधित चीनी मिल के प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष एवं सहायक निदेशक, ईख विकास पूर्णतः जवाबदेह होंगे।

(6) उप निदेशक, ईख विकास एवं संयुक्त निदेशक, ईख विकास समय–समय पर योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। सहायक निदेशक, ईख विकास, योजना के शत प्रतिशत जांच एवं धरातलीय क्रियान्वयन के

लिए उत्तरदायी होगे। सहायक निदेशक एवं उप निदेशक, ईख विकास भ्रमण एवं समीक्षा के दौरान पाये जाने वाले त्रुटि को तत्काल संयुक्त निदेशक/ईखायुक्त को प्रतिवेदित करेगें। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली ईख विकास की सभी योजनाओं का समीक्षा समय-समय पर किया जा सकेगा। जिला में आयोजित कृषि टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक में भी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

(7) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु गन्ना उद्योग विभाग प्रशासी विभाग होगा और योजना क्रियान्वयन की जवाबदेही ईखायुक्त, बिहार की होगी। क्षेत्रीय स्तर पर उप निदेशक, ईख विकास अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्ण रूप से जवाबदेह होगें।

(8) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं0	बजट शीर्ष	विपत्र शीर्ष	उपबंधित राशि (लाख रू0)	निकासी हेतु स्वीकृत राशि/विकलनीय राशि (लाख रू0)
1.	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00- लघु शीर्ष- 108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या-45 उप शीर्ष- 0109 ईख विकास विपत्र कोड- 45-2401001080109	33 01 सब्सिडी	4705.63	3878.63
		20 03 प्रशिक्षण व्यय	124.05	124.05
		20 02 कान्फ्रेस, सेमिनार एवं कार्यशाला	49.62	49.62
2.	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00 लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-45-उपशीर्ष-0108-ईख विकास विपत्र कोड संख्या-45-2401007890108	विपत्र शीर्ष-33 01 सब्सिडी	910.40	750.40
		20 03 प्रशिक्षण व्यय	24.00	24.00
		20 02 कान्फ्रेस, सेमिनार एवं कार्यशाला	9.60	9.60
3.	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00 लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-45-उपशीर्ष-0129-ईख विकास विपत्र कोड संख्या-45-2401007960129	विपत्र शीर्ष-33 01 सब्सिडी	73.97	60.97
		20 03 प्रशिक्षण व्यय	1.95	1.95
		20 02 कान्फ्रेस, सेमिनार एवं कार्यशाला	0.78	0.78
	योग-		5900.00	4900.00

(9). इस योजना का विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश परिशिष्ट-4 के रूप में संलग्न है। आवश्यतानुसार अनुदेश में संशोधन किया जा सकेगा।

(10). योजनाओं में शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय लक्ष्य के अधीन योजनाओं के भौतिक लक्ष्य में अंतर परिवर्तन किया जा सकेगा।

(11). इस योजनांतर्गत किसानों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया Cane Care Portal के माध्यम से किया जायेगा। सॉफ्टवेयर में निहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस योजनांतर्गत अवयववार वित्तीय लक्ष्य के अंतर्गत ही भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी।

(12) यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561(वि॰)2 दि0–17.04.98 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत राशि के विरूद्ध वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा विमुक्त किए गए राशि के अधीन आवंटन निर्गत किया जा सकेगा।

(13) योजना के संलेख प्रस्ताव पर वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888/वि० दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–2 (क) के आलोक में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक–01.07.2025 को आयोजित बैठक की कार्यवाही की कंडिका–14 पर प्राप्त है, जो संचिका के पृ0–10/टि0 पर रक्षित है।

(14) प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश पर माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार का अनुमोदन संचिका सं0–01/विकास– यो0–234/2025 के पृष्ठ सं0–12/टि॰ पर प्राप्त है।

(15) स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–01/विकास–यो0–234/25 के पृष्ठ सं0–13/टि॰ पर प्राप्त है।

(16) वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक–यथोक्त:

विश्वासभाजन

ह0/- 03/7/25

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–234/2025– 196 ईखा॰/CC पटना, दिनांक– 03 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/बेतिया/मोतीहारी/सीतामढ़ी/सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णियाँ/गया/दरभंगा/भोजपुर/जमुई/मुजफ्फरपुर/सहरसा/भोजपुर (आरा)/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–234/2025– 196 ईखा॰/CC पटना, दिनांक– 03 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के॰भी॰के॰/राज्य के कृषि विश्वविघालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/-

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–234/2025– 196 ईखा॰/CC पटना, दिनांक– 03 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि– सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ–क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–234/2025– 196 ई0वी0/ec पटना, दिनांक– 03 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–1

वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम का स्वीकृत कार्य योजना

क्र0सं0	कार्य अवयव	अनुदान दर/अधिकतम सीमा (दोनों में से जो कम हो) सामान्य	अनु0 जाति/ अनु0जन जाति	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम –					
1.1	न्यूक्लियस गन्ना बीज का उत्पादन (10 हे0 में) एवं प्रजनक गन्ना बीज उत्पादन (63 हे0 में) कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहन राशि	2.50 लाख प्रति हे0		हे0	73	182.50
1.2	आधार बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि	60,000 रू0 प्रति हे0		हे0	350	210.00
1.3	प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम	50 रू0 प्रति क्वींटल		क्वी0	700000	350.00
1.4	गन्ना के चयनित प्रभेदों के प्रमाणित बीज, भूमि उपचार, तृणनाशी एवं पौधा संरक्षण तथा उर्वरक प्रबंधन का प्रत्यक्षण					
1.4.1	प्रमाणित बीज का क्रय @ 210/240 रू0 प्रति क्वींटल (25 क्वीं0 प्रति एकड़)	210 रू0/क्वींटल	240 रू0/क्वींटल	एकड़	28000	1505.70
1.4.2	भूमि उपचार का प्रत्यक्षण (A) Carbendazim 50% WP 200gm per acre	900 रू0 प्रति कि0ग्रा0		एकड़	28000	50.40
	(B) Tebuconazole 10% + Sulphur 65% WG 03 KG per acre	417 रू0 प्रति कि0ग्रा0		एकड़	28000	350.28
	(C) Cartap Hydrochloride 4G 12 KG per acre	120 रू0 प्रति कि0ग्रा0		एकड़	28000	403.20
1.4.3	तृणनाशी एवं पौधा संरक्षण प्रत्यक्षण (A) Thiamethoxam 75% SG 250 gm per acre	1988 रू0 प्रति कि0ग्रा0		एकड़	28000	139.16
	(B) Imidachloroprid 17.8 SL 100 ml per acre	1900 रू0 प्रति लीटर		एकड़	28000	53.20
	(C) Lambda cyhalothrin 5% EC 250 ml per acre	592 रू0 प्रति लीटर		एकड़	28000	41.44
	(D) Cooper Oxy Chloride 50 WP 500 gm per acre	800 रू0 प्रति कि0ग्रा0		एकड़	28000	112.00
1.4.4	उर्वरक प्रबंधन प्रत्यक्षण (A) PSB Liquid 02 litre per acre	400 रू0 प्रति लीटर		एकड़	28000	224.00
	(B) Sulphur 90 % (powder) 05 Kg per acre	88 रू0 प्रति कि0ग्रा0		एकड़	28000	123.20
	योग (1.4.1 से 1.4.4) –					**3002.58**
1.5	बड चिप/सिंगल बड पद्धति से गन्ना रोपाई का एक एकड़ में प्रत्यक्षण (10000 पौध प्रति एकड़)	अधिकतम 15,000 रू0 प्रति प्रत्यक्षण		संख्या	4000	600.00
1.6	गन्ना के साथ अंतरवर्ती खेती (दलहन/तेलहन/मशाला/सब्जी) हेतु बीज के लिए अनुदान	मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 800 रू0 प्रति एकड़		एकड़	20000	160.00
1.7	गन्ना किसानों को समुचित सलाह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "IKH MITRA APP" हेतु प्रावधानित राशि				1	21.00
1.8	" Cane Care Portal " के Maintanance & Add-on Services हेतु NIC को भुगतान हेतु प्रावधानित राशि				–	72.42
1.9	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज द्वारा वर्ष 2024–25 में बड चिप/सिंगल बड पद्धति से गन्ना रोपाई का एक एकड़ में प्रत्यक्षण मद में कोषागार से विपत्र निकासी नहीं होने के कारण वचनबद्ध राशि				–	1.50
	योग (1) –					**4600.00**
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम–					
2.1	राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला/एक्सपो				–	90.00
2.2	क्षेत्रीय कार्यशाला/एक्सपो	05.00 लाख रू0 प्रति कार्यशाला/एक्सपो			12	60.00
2.3	विभागीय पदाधिकारियों/वैज्ञानिकों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में भ्रमण एवं प्रशिक्षण				–	10.00
2.4	प्रगतिशील गन्ना कृषकों एवं पदाधिकारियों के दल का राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण				–	40.00
2.5	बिहार दिवस मेला/झांकी इत्यादि के आयोजन हेतु प्रावधानित राशि				–	50.00
2.6	40 कृषकों के लिए एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण	10,000 रू0 प्रति प्रशिक्षण			500	50.00
	Total (1+2) -					**4900.00**

(हस्ताक्षर)
ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–2 (पृ0–1)

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम 2025–26 अंतर्गत चीनी मिल एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र के कार्यालयवार एवं संबद्ध चीनी मिलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)

सं0	कार्यालय का नाम	संबद्ध चीनी मिल का नाम	त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी)																							
			न्यूक्लियस गन्ना बीज का उत्पादन (10 हे0 में) एवं प्रजनक गन्ना बीज उत्पादन (63 हे0 में) कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहन राशि @ 2.50 लाख रू0 प्रति हेक्टेयर								आधार बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि @ 60,000 रू0 प्रति हेक्टेयर								प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम @ 50 रू0 प्रति क्वींटल							
			सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग	
			भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (क्वी0 में)	वित्तीय	भौतिक (क्वी0 में)	वित्तीय	भौतिक (क्वी0 में)	वित्तीय	भौतिक (क्वी0 में)	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	तिरूपति सुगर मिल्स लि0, बगहा, प0 चम्पारण	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	60	36.00000	0	0.00000	0	0.00000	60	36.00000	81377	40.68850	15744	7.87200	1279	0.63950	98400	49.20000
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	हरिनगर सुगर मिल्स लि0, हरिनगर, प0 चम्पारण	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	65	39.00000	0	0.00000	0	0.00000	65	39.00000	107527	53.76350	20803	10.40150	1690	0.84500	130020	65.01000
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, लौरिया।	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	5	3.00000	0	0.00000	0	0.00000	5	3.00000	3027	1.51350	585	0.29250	48	0.02400	3660	1.83000
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	जयश्री सुगर इण्डस्ट्रीज, मंझौलिया, प0 चम्पारण	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	35	21.00000	0	0.00000	0	0.00000	35	21.00000	53738	26.86900	10397	5.19850	845	0.42250	64980	32.49000
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, प0 चम्पारण	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	20	12.00000	0	0.00000	0	0.00000	20	12.00000	5359	2.67950	1037	0.51850	84	0.04200	6480	3.24000
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, सुगौली	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	10	6.00000	0	0.00000	0	0.00000	10	6.00000	10768	5.38400	2083	1.04150	169	0.08450	13020	6.51000
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	भारत सुगर मिल, सिधवलिया	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	30	18.00000	0	0.00000	0	0.00000	30	18.00000	63414	31.70700	12269	6.13450	997	0.49850	76680	38.34000
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	30	18.00000	0	0.00000	0	0.00000	30	18.00000	79541	39.77050	15389	7.69450	1250	0.62500	96180	48.09000
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	रीगा सुगर मिल, रीगा	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	35	21.00000	0	0.00000	0	0.00000	35	21.00000	40341	20.17050	7805	3.90250	634	0.31700	48780	24.39000
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	35	21.00000	0	0.00000	0	0.00000	35	21.00000	52945	26.47250	10243	5.12150	832	0.41600	64020	32.01000
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	3	1.80000	0	0.00000	0	0.00000	3	1.80000	2928	1.46400	566	0.28300	46	0.02300	3540	1.77000
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	10	6.00000	0	0.00000	0	0.00000	10	6.00000	56468	28.23400	10925	5.46250	887	0.44350	68280	34.14000
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.5	0.30000	0	0.00000	0	0.00000	0.5	0.30000	2680	1.34000	518	0.25900	42	0.02100	3240	1.62000
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	5.0	3.00000	0	0.00000	0	0.00000	5	3.00000	2680	1.34000	518	0.25900	42	0.02100	3240	1.62000
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	1.0	0.60000	0	0.00000	0	0.00000	1	0.60000	2680	1.34000	518	0.25900	42	0.02100	3240	1.62000
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	1.0	0.60000	0	0.00000	0	0.00000	1	0.60000	2680	1.34000	518	0.25900	42	0.02100	3240	1.62000
17	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	1.0	0.60000	0	0.00000	0	0.00000	1	0.60000	3771	1.88550	730	0.36500	59	0.02950	4560	2.28000
18	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	1.0	0.60000	0	0.00000	0	0.00000	1	0.60000	1637	0.81850	317	0.15850	26	0.01300	1980	0.99000
19	सहायक निदेशक, ईख विकास, गया	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.5	0.30000	0	0.00000	0	0.00000	0.5	0.30000	1571	0.78550	304	0.15200	25	0.01250	1900	0.95000
20	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	2.0	1.20000	0	0.00000	0	0.00000	2	1.20000	3768	1.88400	731	0.36550	61	0.03050	4560	2.28000
21	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
22	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
23	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
24	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	–	73	182.50000	0	0.00000	0	0.00000	73	182.50000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
	योग–		73	182.50000	0	0.00000	0	0.00000	73	182.50000	350	210.00000	0	0.00000	0	0.00000	350	210.00000	578900	289.45000	112000	56.00000	9100	4.55000	700000	350.00000

परिशिष्ट–2 (पृ0–2)

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम 2025–26 अंतर्गत चीनी मिल एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र के कार्यालयवार एवं संबद्ध चीनी मिलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)

सं0	कार्यालय का नाम	संबद्ध चीनी मिल का नाम	त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी)																							
			गन्ना के प्रत्यक्षण हेतु चयनित प्रभेदों का अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण बीज क्रय अनुदान 210 रू0/क्वींटल यानि 5250 रू0 प्रति एकड़, एक एकड़ हेतु अधिकतम 25 क्वीं0 बीज देय होगा (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु 240 रू0/क्वीं0 यानि 6000 रू0 प्रति एकड़)								गन्ना के प्रत्यक्षण हेतु उपादान (भूमि उपचार, तृणनाशी एवं पौधा संरक्षण तथा उर्वरक प्रबंधन) का वितरण @ 5346 रू0/एकड़								बड चिप/सिंगल बड पद्धति से गन्ना रोपाई का एक एकड़ में प्रत्यक्षण @ 15,000 रू0 प्रति प्रत्यक्षण (10000 पौध प्रति एकड़)							
			सामान्य @ 5250 रू0		अनु0 जाति @ 6000 रू0		अनु0 जनजाति @ 6000 रू0		योग		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग	
			भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	तिरूपति सुगर मिल्स लि0, बगहा, प0 चम्पारण	3255	170.88750	630	37.80000	51	3.06000	3936	211.74750	3255	174.01230	630	33.67980	51	2.72646	3936	210.41856	530	79.50000	102	15.30000	8	1.20000	640	96.00000
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	हरिनगर सुगर मिल्स लि0, हरिनगर, प0 चम्पारण	4301	225.80250	832	49.92000	68	4.08000	5201	279.80250	4301	229.93146	832	44.47872	68	3.63528	5201	278.04546	790	118.50000	153	22.95000	12	1.80000	955	143.25000
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, लौरिया।	121	6.35250	23	1.38000	2	0.12000	146	7.85250	121	6.46866	23	1.22958	2	0.10692	146	7.80516	165	24.75000	32	4.80000	3	0.45000	200	30.00000
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	जयश्री सुगर इण्डस्ट्रीज, मंझौलिया, प0 चम्पारण	2149	112.82250	416	24.96000	34	2.04000	2599	139.82250	2149	114.88554	416	22.23936	34	1.81764	2599	138.94254	227	34.05000	44	6.60000	4	0.60000	275	41.25000
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, प0 चम्पारण	214	11.23500	42	2.52000	3	0.18000	259	13.93500	214	11.44044	42	2.24532	3	0.16038	259	13.84614	620	93.00000	120	18.00000	10	1.50000	750	112.50000
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, सुगौली	431	22.62750	83	4.98000	7	0.42000	521	28.02750	431	23.04126	83	4.43718	7	0.37422	521	27.85266	190	28.50000	37	5.55000	3	0.45000	230	34.50000
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	भारत सुगर मिल, सिधवलिया	2536	133.14000	491	29.46000	40	2.40000	3067	165.00000	2536	135.57456	491	26.24886	40	2.13840	3067	163.96182	207	31.05000	40	6.00000	3	0.45000	250	37.50000
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज	3181	167.00250	616	36.96000	50	3.00000	3847	206.96250	3181	170.05626	616	32.93136	50	2.67300	3847	205.66062	165	24.75000	32	4.80000	3	0.45000	200	30.00000
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	रीगा सुगर मिल, रीगा	1614	84.73500	312	18.72000	25	1.50000	1951	104.95500	1614	86.28444	312	16.67952	25	1.33650	1951	104.30046	83	12.45000	16	2.40000	1	0.15000	100	15.00000
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर	2118	111.19500	410	24.60000	33	1.98000	2561	137.77500	2118	113.22828	410	21.91860	33	1.76418	2561	136.91106	289	43.35000	56	8.40000	5	0.75000	350	52.50000
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	–	117	6.14250	23	1.38000	2	0.12000	142	7.64250	117	6.25482	23	1.22958	2	0.10692	142	7.59132	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर	2259	118.59750	437	26.22000	35	2.10000	2731	146.91750	2259	120.76614	437	23.36202	35	1.87110	2731	145.99926	42	6.30000	8	1.20000	0	0.00000	50	7.50000
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	–	107	5.61750	21	1.26000	2	0.12000	130	6.99750	107	5.72022	21	1.12266	2	0.10692	130	6.94980	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	–	107	5.61750	21	1.26000	2	0.12000	130	6.99750	107	5.72022	21	1.12266	2	0.10692	130	6.94980	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	–	107	5.61750	21	1.26000	2	0.12000	130	6.99750	107	5.72022	21	1.12266	2	0.10692	130	6.94980	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	–	107	5.61750	21	1.26000	2	0.12000	130	6.99750	107	5.72022	21	1.12266	2	0.10692	130	6.94980	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
17	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	–	151	7.92750	29	1.74000	2	0.12000	182	9.78750	151	8.07246	29	1.55034	2	0.10692	182	9.72972	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
18	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)	–	65	3.41250	13	0.78000	1	0.06000	79	4.25250	65	3.47490	13	0.69498	1	0.05346	79	4.22334	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
19	सहायक निदेशक, ईख विकास, गया	–	63	3.30750	12	0.72000	1	0.06000	76	4.08750	63	3.36798	12	0.64152	1	0.05346	76	4.06296	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
20	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	–	153	7.51149	27	1.51920	2	0.11181	182	9.14250	153	8.17938	27	1.44342	2	0.10692	182	9.72972	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
21	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
22	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
23	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
24	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
योग–			23156	1215.16899	4480	268.69920	364	21.83181	28000	1505.70000	23156	1237.91976	4480	239.50080	364	19.45944	28000	1496.88000	3308	496.20000	640	96.00000	52	7.80000	4000	600.00000

परिशिष्ट–2 (पृ0–3)

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम 2025–26 अंतर्गत चीनी मिल एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र के कार्यालयवार एवं संबद्ध चीनी मिलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)

सं0	कार्यालय का नाम	संबद्ध चीनी मिल का नाम	त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी)																			
			गन्ना के साथ अंतरवर्ती खेती (दलहन/तेलहन/मशाला/सब्जी) हेतु बीज के लिए अनुदान @ 800 रू0 प्रति एकड़								गन्ना किसानों को समूचित सलाह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "IKH MITRA APP" हेतु प्रावधानित राशि				" Cane Care Portal " के Maintanance & Add-on Services हेतु NIC को भुगतान हेतु प्रावधानित राशि				सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज द्वारा वर्ष 2024–25 में बड चिप/सिंगल बड पद्धति से गन्ना रोपाई का एक एकड़ में प्रत्यक्षण मद में कोषागार से विपत्र निकासी नहीं होने के कारण वचनबद्ध राशि			
			सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग
			भौतिक (है0)	वित्तीय	भौतिक (है0)	वित्तीय	भौतिक (है0)	वित्तीय	भौतिक (है0)	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	तिरूपति सुगर मिल्स लि0, बगहा, प0 चम्पारण	2650	21.20000	510	4.08000	40	0.32000	3200	25.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	हरिनगर सुगर मिल्स लि0, हरिनगर, प0 चम्पारण	3950	31.60000	765	6.12000	60	0.48000	4775	38.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	एच0 पी0 सी0 एल0 बायोंफ्यूल्स लि0, लौरिया।	825	6.60000	160	1.28000	15	0.12000	1000	8.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	जयश्री सुगर इण्डस्ट्रीज, मंझौलिया, प0 चम्पारण	1135	9.08000	220	1.76000	20	0.16000	1375	11.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, प0 चम्पारण	3100	24.80000	600	4.80000	50	0.40000	3750	30.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	एच0 पी0 सी0 एल0 बायोंफ्यूल्स लि0, सुगौली	950	7.60000	185	1.48000	15	0.12000	1150	9.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	भारत सुगर मिल, सिधवलिया	1035	8.28000	200	1.60000	15	0.12000	1250	10.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज	825	6.60000	160	1.28000	15	0.12000	1000	8.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.50000	0.00000	0.00000	1.50000
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	रीगा सुगर मिल, रीगा	415	3.32000	80	0.64000	5	0.04000	500	4.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर	1445	11.56000	280	2.24000	25	0.20000	1750	14.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर	210	1.68000	40	0.32000	0	0.00000	250	2.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19	सहायक निदेशक, ईख विकास, गया	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
22	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	21.00000	0.00000	21.00000	23.57125	43.60000	5.24875	72.42000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	योग–		16540	132.32000	3200	25.60000	260	2.08000	20000	160.00000	0.00000	21.00000	0.00000	21.00000	23.57125	43.60000	5.24875	72.42000	1.50000	0.00000	0.00000	1.50000

परिशिष्ट–2 (पृ0–4)

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम 2025–26 अंतर्गत चीनी मिल एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र के कार्यालयवार एवं संबद्ध चीनी मिलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	संबद्ध चीनी मिल का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी) राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला/एक्सपो				(विषय शीर्ष 20 02 कान्फ्रेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला) क्षेत्रीय कार्यशाला/एक्सपो @ 05.00 लाख रू0 प्रति कार्यशाला/एक्सपो								(विषय शीर्ष 20 03 प्रशिक्षण व्यय) विभागीय पदाधिकारियों/वैज्ञानिकों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में भ्रमण एवं प्रशिक्षण			
			सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग	सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग
			वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	भौतिक (सं0)	वित्तीय	भौतिक (सं0)	वित्तीय	भौतिक (सं0)	वित्तीय	भौतिक (सं0)	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	तिरूपति सुगर मिल्स लि0, बगहा, प0 चम्पारण	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	हरिनगर सुगर मिल्स लि0, हरिनगर, प0 चम्पारण	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	एच0 पी0 सी0 एल0 बायोंफ्यूल्स लि0, लौरिया।	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	जयश्री सुगर इण्डस्ट्रीज, मंझौलिया, प0 चम्पारण	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, प0 चम्पारण	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	एच0 पी0 सी0 एल0 बायोंफ्यूल्स लि0, सुगौली	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	भारत सुगर मिल, सिधवलिया	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	रीगा सुगर मिल, रीगा	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19	सहायक निदेशक, ईख विकास, गया	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2	8.27000	2	1.60000	2	0.13000	2	10.00000	8.27000	1.60000	0.13000	10.00000
22	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7	28.94500	7	5.60000	7	0.45500	7	35.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3	12.40500	3	2.40000	3	0.19500	3	15.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	–	90.00000	0.00000	0.00000	90.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
योग–			90.00000	0.00000	0.00000	90.00000	12	49.62000	12	9.60000	12	0.78000	12	60.00000	8.27000	1.60000	0.13000	10.00000

परिशिष्ट–2 (पृ0–5)

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम 2025–26 अंतर्गत चीनी मिल एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र के कार्यालयवार एवं संबद्ध चीनी मिलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	संबद्ध चीनी मिल का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम (विषय शीर्ष 20 03 प्रशिक्षण व्यय)																कुल योग			
			प्रगतिशील गन्ना कृषकों एवं पदाधिकारियों के दल का राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण				बिहार दिवस मेला/झांकी इत्यादि के आयोजन हेतु प्रावधानित राशि				40 कृषकों के लिए एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण @ 10,000 रू0 प्रति प्रशिक्षण											
			सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग	सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग
			वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	भौतिक (सं0)	वित्तीय	भौतिक (सं0)	वित्तीय	भौतिक (सं0)	वित्तीय	भौतिक (सं0)	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	तिरूपति सुगर मिल्स लि0, बगहा, प0 चम्पारण	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48	4.80000	10	1.00000	2	0.20000	60	6.00000	527.08830	99.73180	8.14596	634.96606
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	हरिनगर सुगर मिल्स लि0, हरिनगर, प0 चम्पारण	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48	4.80000	10	1.00000	2	0.20000	60	6.00000	703.39746	134.87022	11.04028	849.30796
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	एच0 पी0 सी0 एल0 बायॉफ्यूल्स लि0, लौरिया।	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8	0.80000	2	0.20000	0	0.00000	10	1.00000	49.48466	9.18208	0.82092	59.48766
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	जयश्री सुगर इण्डस्ट्रीज, मंझौलिया, प0 चम्पारण	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42	4.20000	8	0.80000	0	0.00000	50	5.00000	322.90704	61.55786	5.04014	389.50504
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, प0 चम्पारण	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41	4.10000	9	0.90000	0	0.00000	50	5.00000	159.25494	28.98382	2.28238	190.52114
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	एच0 पी0 सी0 एल0 बायॉफ्यूल्स लि0, सुगौली	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16	1.60000	4	0.40000	0	0.00000	20	2.00000	94.75276	17.88868	1.44872	114.09016
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	भारत सुगर मिल, सिधवलिया	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40	4.00000	10	1.00000	0	0.00000	50	5.00000	361.75156	70.44336	5.60690	437.80182
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40	4.00000	10	1.00000	0	0.00000	50	5.00000	431.67926	84.66586	6.86800	523.21312
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	रीगा सुगर मिल, रीगा	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11	1.10000	4	0.40000	0	0.00000	15	1.50000	229.05994	42.74202	3.34350	275.14546
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50	5.00000	9	0.90000	1	0.10000	60	6.00000	331.80578	63.18010	5.21018	400.19606
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8	0.80000	2	0.20000	0	0.00000	10	1.00000	16.46132	3.09258	0.24992	19.80382
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8	0.80000	2	0.20000	0	0.00000	10	1.00000	282.37764	56.76452	4.41460	343.55676
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6	0.60000	0	0.00000	0	0.00000	6	0.60000	13.57772	2.64166	0.24792	16.46730
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4	0.40000	0	0.00000	0	0.00000	4	0.40000	16.07772	2.64166	0.24792	18.96730
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8	0.80000	0	0.00000	0	0.00000	8	0.80000	14.07772	2.64166	0.24792	16.96730
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8	0.80000	0	0.00000	0	0.00000	8	0.80000	14.07772	2.64166	0.24792	16.96730
17	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8	0.80000	0	0.00000	0	0.00000	8	0.80000	19.28546	3.65534	0.25642	23.19722
18	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8	0.80000	0	0.00000	0	0.00000	8	0.80000	9.10590	1.63348	0.12646	10.86584
19	सहायक निदेशक, ईख विकास, गया	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5	0.50000	0	0.00000	0	0.00000	5	0.50000	8.26098	1.51352	0.12596	9.90046
20	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8	0.80000	0	0.00000	0	0.00000	8	0.80000	19.57487	3.32812	0.24923	23.15222
21	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	–	40.00000	0.00000	0.00000	40.00000	34.28000	14.40000	1.32000	50.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	90.82000	17.60000	1.58000	110.00000
22	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	28.94500	5.60000	0.45500	35.00000
23	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	12.40500	2.40000	0.19500	15.00000
24	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	–	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	296.07125	64.60000	5.24875	365.92000
	योग–		40.00000	0.00000	0.00000	40.00000	34.28000	14.40000	1.32000	50.00000	415	41.50000	80	8.00000	5	0.50000	500	50.00000	4052.30000	784.00000	63.70000	4900.00000

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–'3'

राज्य योजना अंतर्गत "मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2025–26 अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने श्रेणीवार स्वीकृत राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय का नाम	संबद्ध चीनी मिल का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)				कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
			सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	तिरूपति सुगर मिल्स लि0, बगहा, प0 चम्पारण	527.08830	99.73180	8.14596	634.96606	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	हरिनगर सुगर मिल्स लि0, हरिनगर, प0 चम्पारण	703.39746	134.87022	11.04028	849.30796	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, लौरिया।	49.48466	9.18208	0.82092	59.48766	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	जयश्री सुगर इण्डस्ट्रीज, मंझौलिया, प0 चम्पारण	322.90704	61.55786	5.04014	389.50504	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, प0 चम्पारण	159.25494	28.98382	2.28238	190.52114	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, सुगौली	94.75276	17.88868	1.44872	114.09016	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	भारत सुगर मिल, सिधवलिया	361.75156	70.44336	5.60690	437.80182	कोषागार , गोपालगंज
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज	431.67926	84.66586	6.86800	523.21312	कोषागार , गोपालगंज
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	–	229.05994	42.74202	3.34350	275.14546	कोषागार, सीतामढ़ी
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर	331.80578	63.18010	5.21018	400.19606	कोषागार, समस्तीपुर
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	–	16.46132	3.09258	0.24992	19.80382	कोषागार, मुजफ्फरपुर
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर	282.37764	56.76452	4.41460	343.55676	कोषागार, सिवान
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	–	13.57772	2.64166	0.24792	16.46730	कोषागार, भागलपुर
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	–	16.07772	2.64166	0.24792	18.96730	कोषागार, दरभंगा
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	–	14.07772	2.64166	0.24792	16.96730	कोषागार, सहरसा
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	–	14.07772	2.64166	0.24792	16.96730	कोषागार, पूर्णियाँ
17	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	–	19.28546	3.65534	0.25642	23.19722	कोषागार, जमुई
18	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)	–	9.10590	1.63348	0.12646	10.86584	कोषागार, आरा (भोजपुर)
19	सहायक निदेशक, ईख विकास, गया	–	8.26098	1.51352	0.12596	9.90046	कोषागार, गया
20	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	–	19.57487	3.32812	0.24923	23.15222	कोषागार, पटना
21	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	–	90.82000	17.60000	1.58000	110.00000	कोषागार, पटना
22	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	–	28.94500	5.60000	0.45500	35.00000	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
23	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा	–	12.40500	2.40000	0.19500	15.00000	कोषागार, समस्तीपुर
24	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग		296.07125	64.60000	5.24875	365.92000	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना
	योग–	–	**4052.30000**	**784.00000**	**63.70000**	**4900.00000**	

ह0/-

ईखायुक्त, बिहार।

<u>परिशिष्ट–'4'</u>

<u>वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनांतर्गत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश।</u>

गन्ना उद्योग विभाग द्वारा राज्य में गन्ने के उत्पादन एवं उत्पादकता तथा चीनी की रिकवरी में वृद्धि के उद्देश्य से गन्ना किसानों के हित में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत ईख विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में गन्ने की कुल 16 प्रभेदों यथा– CO-0238, CO-0118, CO-98014, COP-9301, CoP-112, CoP-16437 (Rajendra Ganna-I), COLK-94184, CoLK-12207, CoLK-12209, Bo-153, Co-15023, CoLK-14201, CoS-13235, CoLK-15466, CoLK-16466 एवं CoLK-16470 की खेती को प्रोत्साहित करने एवं उस निमित्त ईख अनुसंधान संस्थान/गन्ना कृषकों को प्रोत्साहन/अनुदान की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस योजनांतर्गत एक किसान संलग्न परिशिष्ट–1 की कंडिका–1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एवं 1.6 में से किसी एक अवयव का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेगें यानि किसी आवेदक को एक अवयव से अधिक का लाभ देय नहीं होगा। जबकि चीनी मिल की स्थिति में आधार बीज उत्पादन एवं प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन अवयव अंतर्गत लाभ देय होगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभुक (चीनी मिल को छोड़कर) को उस अवयव का लाभ आगामी 02 (दो) वित्तीय वर्ष के लिए देय नहीं होगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024–25 में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुकों को इस वर्ष उस अवयव का लाभ देय नहीं होगा। संबंधित सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **बिहार वित्त संशोधित नियमावली एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों** का अनुपालन करते हुए योजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे।

(1) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु घटकवार निम्नवत् अनुदेश दिया जाता है–

(1.1) **<u>न्यूक्लियस गन्ना बीज का उत्पादन (10 हे0 में) एवं प्रजनक गन्ना बीज उत्पादन (63 हे0 में) कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहन राशि</u>** – न्यूक्लियस गन्ना बीज (10 हे0 में) एवं प्रजनक गन्ना बीज उत्पादन (63 हे0 में) कार्यक्रम का कार्यान्वयन ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/भारतीय ईख अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर द्वारा किया जाएगा। इस हेतु 2.50 लाख रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। संबंधित ईख अनुसंधान संस्थान द्वारा मुख्यालय, पटना को Pre-Receipt Bill एवं गत वर्ष का व्यय प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जाएगा, जिसके आधार पर मुख्यालय, पटना द्वारा स्वीकृत राशि के अधीन अनुमान्य राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जाएगा। कार्योपरांत इसका व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित उप/सहायक निदेशक, ईख विकास एवं संयुक्त निदेशक, ईख विकास द्वारा न्यूक्लियस एवं प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम का अनुश्रवण समय–समय पर किया जाएगा। इस हेतु आवश्यकतानुसार एम0ओ0यू0 में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

(1.2) **<u>आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम</u>**– राज्य में गुणवत्तायुक्त नवीनतम प्रभेद के बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आधार बीज उत्पादन पर अनुदान का प्रावधान किया गया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र–मोतीपुर/ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा से क्रय किए गए प्रजनक बीज से चीनी मिल क्षेत्र में आधार बीज उत्पादन करने वाले चीनी मिलों एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र में आधार बीज उत्पादन करने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK) को 60,000/– रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि

उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। चीनी मिल अपने अथवा लीज पर लिए गए प्रक्षेत्र पर आधार बीज उत्पादन करेगें। चीनी मिल/गैर चीनी मिल क्षेत्र में लगाए गए आधार बीज का पर्यवेक्षण संबंधित के0भी0के0 के वैज्ञानिकों द्वारा कराना आवश्यक होगा। चीनी मिल/गैर चीनी मिल क्षेत्र के कृषि विज्ञान केन्द्र को आधार बीज का प्रमाणिकरण बिहार राज्य बीज एवं आर्गेनिक प्रमाणन एजेन्सी (बसोका) से कराना अनिवार्य होगा।

प्रभारी पदाधिकारी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र–मोतीपुर वितरित किये गये प्रजनक बीज की मिलवार/कार्यालयवार विस्तृत विवरणी संबंधित उप एवं सहायक निदेशक, ईख विकास/बिहार राज्य बीज एवं आर्गेनिक प्रमाणन एजेन्सी (बसोका)/संबंधित के0भी0के0 एवं संयुक्त निदेशक, ईख विकास को उपलब्ध करायेंगे।

तद्नुरूप आधार बीज उत्पादन वाले खेत का मिलवार/कार्यालयवार पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/प्रभारी पदाधिकारी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र–मोतीपुर/बिहार राज्य बीज एवं आर्गेनिक प्रमाणन एजेन्सी (बसोका)/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संबंधित के0भी0के0/संबंधित उप एवं सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा किया जाएगा ताकि लगाए गए आधार बीज से समानुपातिक मात्रा में प्रमाणित बीज का उत्पादन सुनिश्चित हो सके।

(1.3) **प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम**– प्रमाणित बीज उत्पादक (चीनी मिल/वैसे किसान जो चीनी मिल से आधार बीज प्राप्त कर प्रामणित बीज का उत्पादन किये हो) को 50/– रू0 प्रति क्वींटल के दर से प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रोत्साहन राशि उन्हें ही देय होगा जिनके नाम से LIR (Last Inspection Report) निर्गत होगा। इसकी जांच कर ही संबंधित चीनी मिल प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को सूची आवश्यक कागजात के साथ अग्रसारित करेंगें। चयनित 16 प्रभेदों के उत्पादित बीज को बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी से निबंधन कराना आवश्यक होगा। प्रगतिशील कृषकों द्वारा उत्पादित बीज का निबंधन किसी भी स्थिति में चीनी मिल अपने नाम से नहीं करायेगें तथा चीनी मिल अपने माध्यम से बीज उत्पादक द्वारा उत्पादित बीज का वितरण केन केयर पोर्टल के माध्यम से करायेंगे। चीनी मिल प्रमाणित बीज वितरण के विपत्र प्रस्तुत करते समय केन केयर पोर्टल पर उपलब्ध अंतिम रूप से चयनित लाभुकों को किये गये बीज वितरण का प्रतिवेदन, बीज प्राप्ति का स्रोत एवं मात्रा की सूची सहित सहायक निदेशक को उपलब्ध करायेंगे। किसानों द्वारा बीज क्रय हेतु बीज का मूल्य वही होगा जो चीनी मिल द्वारा गन्ना क्रय हेतु निर्धारित है।

(1.4) **गन्ना के चयनित प्रभेदों के प्रमाणित बीज, भूमि उपचार, तृणनाशी एवं पौधा संरक्षण तथा उर्वरक प्रबंधन का प्रत्यक्षण** – इसका लाभ लेने हेतु लाभार्थी द्वारा कम से कम एक एकड़ में प्रत्यक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थी को भूमि की उपलब्धता कम होने के कारण उनके द्वारा आधा एकड़ रकवा में भी प्रत्यक्षण का लाभ लिया जाता है। आधा एकड रकवा में होने वाले प्रत्यक्षण हेतु बीज अनुदान समानुपातिक देय होगा तथा उपादान किट दो लाभार्थी हेतु एक किट उपलब्ध कराया जाएगा तथा चीनी मिल अपने सामने उन दोनों के बीच आधा–आधा उपादान का बटंवारा करा देगें। शरदकालीन बुवाई हेतु लाभुकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कोई किसान उपादान किट प्राप्त कर लेता है तथा प्रमाणित गन्ना बीज उनके द्वारा नहीं क्रय किया जाता है तो संबंधित चीनी मिल द्वारा किट का मूल्य संबंधित किसान से वसूली कर राशि संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को उपलब्ध करायेगें तथा सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा उस राशि को कोषागार में जमा किया जाएगा।

1.4.1 गन्ना के प्रत्यक्षण हेतु चयनित प्रभेदों का अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण क्रय अनुदान (25 क्वीं0 प्रति एकड़) –

(i) राज्य के लिए चयनित गन्ना के 16 प्रभेदों यथा– CO-0238, CO-0118, CO-98014, COP-9301, CoP-112, CoP-16437 (Rajendra Ganna-I), COLK-94184, CoLK-12207, CoLK-12209, Bo-153, Co-15023, CoLK-14201, CoS-13235, CoLK-15466, CoLK-16466 एवं CoLK-16470 के निबंधित प्रमाणित बीज चीनी मिलों द्वारा किसानों के बीच वितरण किया जाएगा। एक एकड़ के लिए 25 क्वीं0 गन्ना बीज की दर से निबंधित प्रमाणित बीज पर सामान्य वर्ग के किसानों को 210/– रू0 प्रति क्वींटल यानि 5250 रू0 प्रति एकड़ तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 240/– रू0 प्रति क्वींटल यानि 6000 रू0 प्रति एकड़ की दर से अनुदान देय है।

(ii) प्रमाणित बीज (Certified Seed) की उपलब्धता, गत वर्ष की योजना का उनके द्वारा किये गये उपयोग, उनके चीनी मिल का रिकवरी प्रतिशत, बसोका में निबंधन हेतु किए गए आवेदन संबंधी प्रतिवेदन के अनुरूप मिलवार/कार्यालयवार निर्धारित लक्ष्य स्वीकृत्यादेश में संलग्न है। प्रशासी विभाग के द्वारा मांग के अनुरूप अतिरिक्त उपलब्ध बीज की आपूर्ति एक मिल से दूसरे मिल को स्वीकृत/आवंटित की जा सकेगी।

(iii) प्रमाणित बीज का बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी (बसोका) से प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रमाणित गन्ना बीज का वितरण किसानों के बीच चीनी मिल क्षेत्र में मिल प्रबंधन एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र में सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय द्वारा केन केयर पोर्टल के माध्यम से निहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(iv) इस अवयव का लाभ प्राप्त करने हेतु किसान द्वारा **"केन केयर पोर्टल"** पर ऑनलाईन आवेदन किया जाएगा। एक गन्ना कृषक को **अधिकतम 01 एकड़** में लगाये गये गन्ना बीज (अधिकतम 25 क्वीं0 प्रति एकड़) पर ही अनुदान राशि देय होगी।

(v) संबंधित चीनी मिल, सहायक निदेशक, ईख विकास एवं उनके क्षेत्रीय कर्मी द्वारा केन केयर पोर्टल पर निहित प्रक्रिया के अनुरूप जांच किया जाएगा एवं तदोपरान्त अनुदान भुगतान का अनुशंसा/भुगतान किया जाएगा।

(vi) भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र–मोतीपुर/ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा वितरित प्रजनक बीज से उत्पादित आधार बीज एवं चीनी मिल/किसानों द्वारा उत्पादित प्रमाणित बीज पर ही अनुदान देय होगा।

(vii) उपर्युक्त प्रक्रिया का पर्यवेक्षण क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित उप निदेशक, ईख विकास द्वारा एवं मुख्यालय स्तर से भी समय–समय पर इसका पर्यवेक्षण किया जाएगा।

(viii) गन्ने का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए चयनित प्रभेद की बीज किसानों को उपलब्ध कराने हेतु त्रिस्तरीय बीज गुणन की प्रक्रिया के तहत प्रजनक बीज, आधार बीज एवं प्रमाणित बीज उत्पादन का कार्यक्रम समावेशित किया गया है ताकि किसानों के बीच चयनित प्रभेदों के गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम–1981 की धारा–38 अंतर्गत गन्ना के प्रमाणित बीज का वैधिक रूप से उत्पादन प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उनके पास उपलब्ध आधार बीज से किया जायेगा। चयनित प्रभेद के उत्पादित प्रमाणित बीज ही इस योजनांतर्गत क्षेत्र के किसानों को संबंधित मिलों द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:–

(i) चीनी मिलों द्वारा रोप वर्ष 2025–26 में अपने आरक्षित क्षेत्र में लगाये जाने वाले आधार बीज एवं प्रमाणित बीज का निर्धारित वैधिक प्रक्रिया से प्रमाणिकरण जिले में पदस्थापित बिहार राज्य बीज एवं आर्गेनिक प्रमाणन एजेन्सी (बसोका) के बीज निरीक्षक के माध्यम से करवाया जायेगा एवं उस हेतु बीज निरीक्षक द्वारा लगाये गये गन्ने के फसल के जांच के उपरान्त उनसे First Inspection Report (FIR) एवं Last Inspection Report (LIR) प्राप्त कर चीनी मिल में संधारित की जायेगी। प्राप्त First Inspection Report (FIR) / Last Inspection Report (LIR) के

अनुसार संबंधित चीनी मिल एवं सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा प्रभेदवार उपलब्ध प्रमाणित बीज का स्टॉक इन्ट्री केन केयर पोर्टल पर किया जाएगा।

(ii) आगामी रोप वर्ष 2025–26 के लिए चीनी मिलों के आरक्षित क्षेत्र अंतर्गत मिल फार्म/कृषक फार्म में उपलब्ध प्रमाणित बीज (जिस हेतु बीज निरीक्षक द्वारा LIR निर्गत है) को चीनी मिलों द्वारा Operating Agency के रूप में इस योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले कृषकों के बीच वितरण किया जा सकेगा।

(iii) गैर चीनी मिल क्षेत्र में आधार बीज/प्रमाणित बीज का निर्धारित वैधिक प्रक्रिया से प्रमाणिकरण क्षेत्र के लिए पदस्थापित बिहार राज्य बीज एवं आर्गेनिक प्रमाणन एजेन्सी (बसोका) के बीज निरीक्षक के माध्यम से बीज उत्पादक किसानों द्वारा करवाया जायेगा एवं प्राप्त Last Inspection Report (LIR) की छायाप्रति संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) प्रजनक, आधार एवं प्रमाणित बीज पौधशाला के खेत/फार्म गेट पर डिस्प्ले बोर्ड में निम्न सूचना अंकित किया जायेगा– 1. प्रक्षेत्र का नाम 2. उप प्रक्षेत्र का नाम 3. गन्ना रकवा का विवरण 4. लगायी गयी बीज का प्रकार (प्रजनक/आधार/प्रमाणित) 5. बीज का स्रोत 6. प्रभेद का नाम 7. बुवाई की तिथि एवं प्लॉट का रकवा चौहद्दी के साथ। संबंधित गन्ना संस्थान, चीनी मिल, सहायक निदेशक, ईख विकास एवं ईख पदाधिकारी द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही प्रजनक, आधार एवं प्रमाणित बीज का वितरण के पूर्व प्रभेदवार फसल कटनी प्रयोग संबंधित गन्ना संस्थान, चीनी मिल, सहायक निदेशक, ईख विकास एवं ईख पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगें। इसके अलावे प्रजनक, आधार एवं प्रमाणित बीजों को ऊँची (Upland) एवं जल निकासी वाली जमीन पर लगाना भी सुनिश्चित करेंगें।

1.4.2 से 1.4.4 गन्ना के प्रत्यक्षण हेतु उपादान (भूमि उपचार, तृणनाशी एवं पौधा संरक्षण तथा उर्वरक प्रबंधन) का वितरण –

(i) गन्ना के प्रत्यक्षण हेतु उपादान (भूमि उपचार, तृणनाशी एवं पौधा संरक्षण तथा उर्वरक प्रबंधन) का वितरण हेतु 5346 रू0 प्रति एकड़ की दर से कुल 28000 एकड़ हेतु राशि का प्रावधान किया गया है।

(ii) जिन किसानों को प्रमाणित गन्ना बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा, उन्हें भूमि उपचार, तृणनाशी एवं पौधा संरक्षण तथा उर्वरक प्रबंधन हेतु राज्य सरकार के सरकारी प्रतिष्ठान बिहार राज्य बीज निगम (BRBN), बिहार, पटना के द्वारा इन सभी जैविक एवं रसायनिक उपादानों का एक किट उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii) प्रमाणित गन्ना बीज क्रय करने वाले लाभुक किसानों को किट वितरण एवं इसके सत्यापन के आलोक में इस योजनांतर्गत प्रावधान किये गये राशि अंतर्गत किट का मूल्य संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा बिहार राज्य बीज निगम (BRBN), पटना को CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

(1.5) बड चिप/सिंगल बड पद्धति से नर्सरी तैयार कर गन्ना रोपाई का प्रत्यक्षण– इस योजना का मुख्य उद्देश्य यथा– बीज दर में कमी, अंकुरण की क्षमता में वृद्धि, कल्ला एवं पेराई योग्य गन्नों की संख्या में वृद्धि, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, खेती की लागत में कमी एवं आमदनी में वृद्धि करना है। बड चिप/सिंगल बड पद्धति से नर्सरी तैयार कर गन्ना रोपाई का प्रत्यक्षण 10000 पौध प्रति एकड़ अधिकतम 15,000 रू0 प्रति प्रत्यक्षण के दर से कुल 4000 प्रत्यक्षण हेतु राशि का प्रावधान किया गया है।

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी–

(i) इस योजना का लाभ बड चिप/सिंगल बड पद्धति से बीज तैयार कर रोपाई करने वाले गन्ना किसानों को देय होगा।

(ii) एक किसान को अधिकतम एक एकड़ के लिए ही प्रत्यक्षण का लाभ दिया जाएगा।

(iii) बीज तैयार करने हेतु ईच्छुक गन्ना किसान इस योजनांतर्गत चिन्हित 16 गन्ना प्रभेदों के प्रमाणित बीज/सत्यापित गन्ना बीज (संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास/चीनी मिल के महाप्रबंधक/कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक के निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार) का क्रय संबंधित चीनी मिलों के माध्यम से करेगें।

(iv) संबंधित चीनी मिलों के देखरेख में किसान बड चिप/सिंगल बड पद्धति से बीज तैयार करेगें एवं अपने खेत में उक्त बीज का उपयोग करेगें। बड चिप के माध्यम से तैयार किये गये पौधे का सत्यापन हेतु सहायक निदेशक, ईख विकास, चीनी मिल के महाप्रबंधक एवं निकटतम कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक का जांच दल नर्सरी का निरीक्षण करेगें तथा निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति संबंधित प्रत्यक्षण का लाभ लेने वाले लाभार्थी को उपलब्ध करायेगें ताकि वे अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु इसे सॉफ्टवेयर में अपलोड कर सके। अगर लाभार्थी द्वारा किसी सत्यापित नर्सरी से बीज क्रय किया जाता है तो उन्हें क्रय रसीद भी उपलब्ध कराना होगा। इसके उपरान्त गन्ना किसान अनुदान भुगतान हेतु अपना आवेदन पत्र अन्य आवश्यक कागजात यथा जांच दल द्वारा नर्सरी का किये गये निरीक्षण का प्रतिवेदन/तैयार किए गए बीज एवं तदोपरान्त अपने खेत में लगाये गए बीज का फोटोग्राफ (चीनी मिल के प्रतिनिधि एवं किसान के साथ) सहित संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

(v) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा केन केयर पोर्टल पर निहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए लाभान्वित कृषकों को उनके द्वारा दिए गए बैंक खाते में CFMS के माध्यम से अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा।

(1.6) **<u>गन्ना के साथ अंतरवर्ती खेती (दलहन/तेलहन/मशाला/सब्जी) हेतु बीज के लिए अनुदान</u>** – गन्ना के साथ (दलहन/तेलहन/मशाला/सब्जी) के प्रमाणित बीज से की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 800 रू0 प्रति एकड की दर से राशि का प्रावधान किया गया है। **इस योजना का लाभ किसानों/लाभार्थी को अधिकतम 01 (एक) एकड़ के लिए देय होगा।** इस हेतु किसानों से केन केयर पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा। गन्ना के साथ अंतरवर्ती खेती हेतु (दलहन/तेलहन/मशाला/सब्जी) का प्रमाणित बीज बिहार राज्य बीज निगम (BRBN)/कृषि विज्ञान केन्द्र/राज्य के कृषि विश्वविघालय/राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) के माध्यम से चीनी मिलों को उपलब्ध कराया जाएगा एवं इसकी सूचना संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास तथा संयुक्त निदेशक, ईख विकास, बिहार, पटना को दिया जाएगा। BRBN/कृषि विज्ञान केन्द्र/राज्य के कृषि विश्वविघालय/राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) द्वारा उपलब्ध कराए गए दलहन/तेलहन/मशाला/सब्जी के प्रमाणित बीज को संबंधित चीनी मिलों द्वारा केन केयर पोर्टल पर आवेदन करने वाले कृषकों को निहित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। चीनी मिल किसानों से दलहन/तेलहन/मशाला/सब्जी बीज के कुल मूल्य की राशि में से अनुदान की राशि को घटाकर शेष राशि प्राप्त करेंगें तथा उस राशि को संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के माध्यम से BRBN/कृषि विज्ञान केन्द्र/राज्य के कृषि विश्वविघालय/राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) को उपलब्ध कराया जाएगा। अनुदान की राशि का भुगतान BRBN/कृषि विज्ञान केन्द्र/राज्य के कृषि विश्वविघालय/राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) को किया जाएगा। इस प्रकार BRBN/कृषि विज्ञान केन्द्र/राज्य के कृषि विश्वविघालय/राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) को बीज मूल्य का पूर्ण राशि का भुगतान प्राप्त हो जाएगा। योजना कार्यान्वयन हेतु अनुदानित राशि का दावा BRBN/कृषि विज्ञान केन्द्र/राज्य के कृषि विश्वविघालय/राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) द्वारा संबंधित चीनी मिल को उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित चीनी मिल द्वारा प्राप्त विपत्र की अनुमान्यता को केन केयर पोर्टल पर लाभुक किसानों की सूची से मिलान करते हुए संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास BRBN/कृषि विज्ञान केन्द्र/राज्य के कृषि विश्वविघालय/राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) द्वारा पूर्व उपलब्ध करायी गयी मात्रा के अनुरूप विपत्र के दावों की जांच कर BRBN/कृषि विज्ञान केन्द्र/राज्य के कृषि विश्वविघालय/राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) को CFMS के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाएगा।

(1.7) **गन्ना किसानों को समूचित सलाह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "IKH MITRA APP" हेतु प्रावधानित राशि**– गन्ना की खेती करने वाले कृषकों को खूँटी प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, अंतरवर्ती खेती एवं नवीनतम तकनीक इत्यादि की जानकारी उपलब्ध के उद्देश्य से " IKH MITRA APP " हेतु इस वित्तीय वर्ष में 21.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

(1.8) **" Cane Care Portal " के Maintanance & Add-on Services हेतु NIC को भुगतान हेतु प्रावधानित राशि** – " Cane Care Portal " के Maintanance & Add-on Services हेतु NIC को भुगतान हेतु इस वित्तीय वर्ष में 72.42 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

(1.9) सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज द्वारा वर्ष 2024–25 में बड चिप/सिंगल बड पद्धति से गन्ना रोपाई का एक एकड़ में प्रत्यक्षण मद में कोषागार से विपत्र निकासी नहीं होने के कारण वचनबद्ध राशि कुल 1.50 लाख रू0 के भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया गया है। इस राशि का भुगतान संबंधित लाभुकों को सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज द्वारा अपने स्तर से अभिलेख के जांचोपरान्त किया जाएगा।

(2.1) **राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला/एक्सपो** – गन्ना उत्पादक कृषकों को नवीनतम तकनीक से गन्ना खेती, विभागीय योजनाओं यंत्रिकरण सहित की जानकारी के साथ उनके बौद्धिक संवर्द्धन हेतु राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला/एक्सपो के आयोजन हेतु कुल 90.00 लाख रू0 (नब्बे लाख रू0) कर्णांकित किया गया है। राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला/एक्सपो का आयोजन सरकार द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा। आवश्यतानुसार कर्णांकित राशि 90.00 लाख रू0 के अधीन एक से अधिक राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला/एक्सपो का आयोजन कराया जा सकेगा। इसके लिए नोडल पदाधिकारी संयुक्त सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं उप नोडल पदाधिकारी विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग होगें। नोडल पदाधिकारी सेमिनार के आयोजन हेतु चयनित फर्म एवं विभाग के मध्य सभी तैयारियाँ हेतु समन्वयक होगें। विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला/एक्सपो के आयोजन हेतु एजेन्सी/फर्म का चयन एवं उससे संबंधित कार्य का निष्पादन लेखा शाखा के माध्यम से किया जाएगा। चयनित फर्म द्वारा समर्पित अभिश्रवों के आधार पर इस मद में आवंटित राशि के अधीन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर भुगतान किया जाएगा।

(2.2) **क्षेत्रीय कार्यशाला/एक्सपो** – गन्ना उत्पादक कृषकों को नवीनतम तकनीक से गन्ना खेती करने एवं विभागीय योजनाओं इत्यादि की जानकारी हेतु सरकार द्वारा चीनी मिल/क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रांर्गत चयनित स्थल पर क्षेत्रीय कार्यशाला/एक्सपो के आयोजन हेतु 05.00 लाख रू0 प्रति कार्यशाला/एक्सपो की दर से कुल 12 कार्यशाला/एक्सपो हेतु कुल 60.00 लाख रू0 (साठ लाख रू0) कर्णांकित किया गया है।

(2.3) **विभागीय पदाधिकारियों/वैज्ञानिकों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में भ्रमण एवं प्रशिक्षण** – उप निदेशक, ईख विकास, पटना विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु समन्वयक पदाधिकारी होंगे। भ्रमण का स्थल यथा– VSI, Pune/SBI, Coimbatore/SBI, Karnal/SBI, Seorahi/ NSI, Kanpur/IISR, Lucknow एवं अन्य गन्ना संस्थान होगा। उप निदेशक, ईख विकास, पटना विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय से प्राप्त पत्र के आलोक में यथानिदेशित संस्थान से समन्वय कर भ्रमण संबंधी प्रस्ताव तैयार कर ईखायुक्त, बिहार को उपलब्ध करायेगें तथा समर्पित प्रस्ताव पर संयुक्त निदेशक, ईख विकास के द्वारा सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। विभागीय पदाधिकारियों/वैज्ञानिकों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु कुल 10.00 लाख रू0 प्रावधानित है। इस राशि की निकासी उप निदेशक, ईख विकास, पटना द्वारा किया जाएगा एवं संबंधित को CFMS के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

(2.4) **प्रगतिशील गन्ना कृषकों एवं पदाधिकारियों के दल का राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण** – उप निदेशक, ईख विकास, पटना, मोतिहारी एवं पूसा प्रगतिशील गन्ना कृषकों का अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु नोडल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। इसके अतिरिक्त एक कर्मी उप निदेशक, ईख विकास के सहयोग एवं किसानों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु प्रत्येक कृषक दल के साथ प्रशिक्षण स्थल तक जाएंगे। कर्मियों के यात्रा पर हुए व्यय का भुगतान योजना की बचत राशि से अथवा बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के तहत् किया जाएगा। प्रशिक्षण स्थल यथा– VSI, Pune/SBI, Coimbatore/SBI, Karnal/SBI, Seorahi/ NSI, Kanpur/IISR, Lucknow एवं अन्य गन्ना संस्थान होगा। उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी एवं पूसा अपने–अपने क्षेत्रांर्गत चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र के प्रगतिशील गन्ना कृषकों का चयन कर सूची उप निदेशक, ईख विकास, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा एवं उप निदेशक, ईख विकास, पटना द्वारा अपने क्षेत्रांर्गत प्रगतिशील गन्ना किसानों की सूची सहित समेकित सूची के आलोक में अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगें एवं उसपर ईखायुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। प्रगतिशील किसान का चयन संबंधित चीनी मिल एवं उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी/पूसा/उप निदेशक, ईख विकास, पटना द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। एक्सपोजर विजिट हेतु कुल 40.00 लाख रू0 राशि प्रावधानित है। उप निदेशक, ईख विकास, पटना द्वारा स्वीकृत/आंवटित राशि के अधीन एक्सपोजर विजिट के उपरांत प्राप्त अभिश्रव के आधार पर संबंधित कोषागार से राशि निकासी कर संबंधित को CFMS के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

(2.5) **बिहार दिवस मेला/झांकी इत्यादि के आयोजन हेतु प्रावधानित राशि** – बिहार दिवस मेला/झांकी इत्यादि के आयोजन हेतु कुल 50.00 लाख रू0 राशि का प्रावधान किया गया है। इस कार्य हेतु विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग नोडल पदाधिकारी होगें। नोडल पदाधिकारी द्वारा बिहार दिवस मेला/झांकी इत्यादि के आयोजन हेतु विभाग एवं आयोजन के मध्य समन्वय किया जाएगा।

(2.6) **40 कृषकों के लिए एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण** – 40 गन्ना कृषकों के लिए 10,000 रू0/प्रशिक्षण की दर से कुल 500 एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर आयोजित किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा एवं मोतीपुर के वैज्ञानिक/के0वी0के0 के वैज्ञानिक/गन्ना उद्योग के पदाधिकारियों/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसमें प्रशिक्षण हेतु वैज्ञानिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण को संबद्ध कर एक साथ कराया जा सकता है। प्रशिक्षण मद के विवरण की क्र0सं0–1 से 5 में से बचत की राशि से अतिरिक्त कृषकों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन चीनी मिल एवं संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा संयुक्त रूप से कराया जाएगा। गैर चीनी मिल क्षेत्र के सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा स्वयं/के0वी0के0 के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराया जा सकेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला हेतु उपयोग में लाने जाने वाले सामग्रियों का क्रय बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप किया जाएगा। सामान्यतः ऐसे स्थान पर प्रशिक्षण कराया जाय जिसमें टेंट एवं सामियाना की आवश्यकता नहीं हो। विशेष परिस्थिति में ही टेंट एवं सामियाना का उपयोग किया जा सकेगा। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले किसानों को मोबाइल नंबर के साथ, स्व–प्रमाणित आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ प्रशिक्षण में भाग लेना होगा।

40 कृषक प्रशिक्षण पर अनुमानित व्यय का विवरण–

क्र0सं0	अवयव	दर (रू0 में)	कुल राशि (रू0 में)	अभ्युक्ति
1.	पेन, पैड, फोल्डर	50.00	2,000.00	क्रमांक–1 से 5 में से क्रमांक 4 के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव पर होने वाले व्यय में आवश्यकतानुरूप फेरबदल किया जा सकता है।
2.	अल्पाहार	50.00	2,000.00	
3.	ध्वनिविदारक यंत्र इत्यादि	–	500.00	
4.	दो विशेषज्ञ/वैज्ञानिकों का मानदेय	1000.00	2,000.00	
5.	आकस्मिकता (बैनर, फोटोग्राफी, भाड़े का वाहन इत्यादि)	–	3,500.00	
	योग–		10,000.00	

ईखायुक्त, बिहार।